बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 17 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 24.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 4.40 अपराह्न तक

1. शुद्धि-पत्र

दिनांक 23.3.2017 की दैनिक विवरणिका के अंतिम पृष्ठ-5 पर आसन के निदेश पर निम्नलिखित माननीय मंत्रियों ने अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा – क्रमांक 1 पर 'श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा' के स्थान पर 'श्रीमती अनिता देवी' पढ़ा जाय।

2. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यान आकृष्ट कराया -

1. सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या-4, 5, 6 एवं

26 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। प्रस्ताव के समर्थन में विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलने लगे।

2. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 4, 5, 17 एवं 22 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है। आसन से अनुरोध किया गया कि प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नोत्तर काल के बाद इसको उठाइएगा।

3. **प्रश्नोत्तर काल**

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 169, 170, 171, 172 उत्तरित हुए। ।
प्रश्न संख्या- 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 173, 174, 183 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-223, 347, 348, 349, 350 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 355, 369 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 348 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि ठीक है, सभी बातें आ गई हैं, इसपर कल निर्णय लिया जाएगा।

प्रश्नोत्तर काल समाप्त होने की घोषणा होते ही माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने अपनी बात रखी, लेकिन उनके कथन के बीच में ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने जोर-जोर से बोलना शुरू कर दिया तथा हाथों में बैनर लेकर दिखाने लगे। आसन से शून्यकाल की घोषणा की गई परन्तु यथावत् शोरगुल होता रहा।

4. **औपचारिक कार्य**

श्री मो. गुलाम रसूल, अध्यक्ष, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक एवं संकल्प संबंधी समिति द्वारा समिति के 183वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन की मेज पर रखी गई एवं सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

5. **शून्यकाल**

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदार नाथ पाण्डेय
2. प्रो. संजय कुमार सिंह

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि शून्यकाल की सभी सूचनाओं को सरकार को भेज दिया जाए।

6. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री मो. गुलाम रसूल एवं अन्य छ: माननीय सदस्यगण द्वारा उर्दू शिक्षकों की बहाली के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

इस दौरान विरोधी दल के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते हुए सदन वेश्म में चले आये तथा हाथों में बैनर दिखाने लगे। आसन के बार-बार अनुरोध के बावजूद नारेबाजी जारी रही। अंतत: सदन की कार्यवाही 2.00 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी गई।

(अंतराल)

7. **सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना**

अंतराल के बाद माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने सूचना के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराया कि खगड़िया जिला के बेलदौर प्रखंड अंतर्गत पनसलवा गांव में दर्जनों महिलाएं आमरण अनशन पर हैं, उनका धरना और अनशन तुड़वाने का काम सरकार करे, जिसपर आसन से कहा गया कि ठीक है।

ध्यानाकर्षण

2. माननीय सदस्य, श्री मो. गुलाम रसूल द्वारा लखीसराय जिले के पचना रोड, नया बाजार निवासी मो. सत्तार अंसारी की जमीन की नापी कराकर अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, सलमान रागीब जी, माननीय मंत्री को कागजात दे दें, जिसपर कागजात दे दिया गया।

3. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा रीगा सुगर कम्पनी लिमिटेड पर गन्ना उत्पादकों के बकाये की राशि के भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने वक्तव्य दिया।

4. माननीय सदस्य, श्री मनोज यादव द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पटना सदर-1 द्वारा बरती जा रही अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से समय लिया गया।

5. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा वैशाली जिले के आकाश राइस मिल, इंडस्ट्रियल एरिया, हाजीपुर के मिल मालिक द्वारा बरती जा रही वित्तीय अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री जय कुमार सिंह ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, सर्वश्री मंगल पाण्डेय, रजनीश कुमार एवं संजय प्रकाश द्वारा भोजपुर जिले के शाहपुर में दिनांक 12.2.2016 को विशेश्वर ओझा की हुई हत्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जी, जो मांग रहे हैं, वह दे दीजिए। इसपर माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कहा कि जी ठीक है, दे देते हैं।

7. माननीय सदस्य, डा. रामबचन राय द्वारा पटना के महात्मा गांधी नगर, कांटी फैक्ट्री रोड, कंकड़बाग, टी.वी. टावर से सटे पश्चिम खाली पड़े भूखंड को विकसित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी ने वक्तव्य दिया।

8. माननीय सदस्य, सर्वश्री विनोद नारायण झा, कृष्ण कुमार सिंह एवं संजय प्रकाश द्वारा आई.टी.सी. फैक्ट्री, मुंगेर के श्रमिकों की वाजिब मांगों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

आसन का नियमन

आसन से यह नियमन दिया गया कि मामला न्यायालय में है, इसलिए इसको स्थगित किया जाता है।

8. गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प)

1. माननीय सदस्य, श्री राजेश राम ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पश्चिमी चम्पारण जिला के प्रखण्ड रामनगर अंतर्गत ग्राम मठिया एवं हरपुर के बीच डोंगाही नदी पर पुल निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

2. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नालन्दा जिला के हिलसा-प्रखण्ड स्थित इंदौत पंचायत के बभनबरूई ग्राम पंचायत से बेलदारी बिगहा तक ग्रामीण पथ का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

3. माननीय सदस्य, श्री सलमान रागीब ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'नवादा जिलान्तर्गत सकरी नदी पर गोसाई बिगहा से पुंज तक पुल बनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

4. माननीय सदस्य, श्री रामलषण राम 'रमण' ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मधुबनी जिलान्तर्गत राजनगर एवं अन्धराठाढ़ी प्रखण्ड के बीच कमला नदी पर वित्तीय वर्ष 2017-2018 में पुल निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

5. माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'जमुई जिलान्तर्गत पथ निर्माण विभाग, बिहार के पथ ढंढ मोड से सनकुढ़ा, कुन्दरी, खडसारी, मंजोस, सिझौरी, करमा, सिकन्दरा, जमुई का दोहरीकरण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

6. माननीय सदस्य, श्री राणा गंगेश्वर सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'समस्तीपुर जिला के बालागढ़ एवं महमद्दीपुर को नया प्रखण्ड घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

7. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मिथिलांचल नाम से एक नया राज्य सृजन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुशंसा करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

8. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'वैशाली जिलान्तर्गत बिदुपुर प्रखण्ड के बिदुपुर गांव में रेफरल अस्पताल का निर्माण करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता एवं श्री दिलीप राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मनरेगा की योजनाओं में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

10. माननीय सदस्य, प्रो. संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों एवं इण्टर महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के वेतनमान के साथ सेवा शर्त नियमावली बनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

11. माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला को मिलाकर शाहाबाद को प्रमंण्डल का दर्जा प्रदान करते हुए इसका मुख्यालय आरा में स्थापित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

12. माननीय सदस्य, डा. उपेन्द्र प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

13. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार राज्य में अधिवासित कुम्हार

(प्रजापति), नाई, चन्द्रवंशी (कहार), धानुक, पाल, बिन्द, राजभट, खरवार, मल्लाह, तुरहा, मझवार, गंगोता, गोड़ी (छावी) की राजनैतिक, आर्थिकहीनता, भूमिहीनता, शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण उसे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

14. माननीय सदस्य, श्री रामचन्द्र भारती का प्रस्ताव कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना जिलान्तर्गत लालबाबू मार्केट से सी.डी.ए. कॉलोनी शिव मंदिर होते हुए केशरी नगर नाला तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

15. माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'गोपालगंज जिला मुख्यालय में एक अभियंत्रण महाविद्यालय खोले।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

16. माननीय सदस्य, श्री चन्देश्वर प्रसाद ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के बच्चे-बच्चियों को गायन-वादन, नृत्य की शिक्षा-दीक्षा हेतु संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

17. माननीय सदस्य, श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'रोहतास जिला के सासाराम प्रखण्ड के अमरा तालाब ग्राम में रेलवे फाटक पर उपरीपुल का निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

18. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'प. चम्पारण के बाल्मिकी नगर तथा गौनाहा के जंगलों में पर्यटकों की सुविधा हेतु सफारी, पर्यटक भवन तथा जर्जर सड़कों की मरम्मती करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

19. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बिहार के प्रतिष्ठित कथाकार स्व. अनूप लाल मंडल की जयंती प्रतिवर्ष राजकीय समारोह के साथ मनावे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

20. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को ग्रेड-पे में दो वर्षों की बाध्यता समाप्त करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

21. माननीय सदस्य, श्री संजीव श्याम सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'समान काम के लिए समान वेतन के आधार पर नियोजित शिक्षकों को भी सहायक शिक्षकों के समान वेतन दे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

22. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बेतिया रेलवे स्टेशन की छावनी रेलवे गुमटी पर उपरीपुल निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।)

23. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार का प्रस्ताव कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'राज्य में पूर्ण शराबबन्दी लागू करने के बावजूद राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य उच्च पथ पर नशा कर गाड़ी न चलायें जैसी पट्टिका को हटाकर शराब पीने पर दण्ड के प्रावधान की पट्टिका लगावे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

24. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'बेगूसराय जिला के सिमरिया से खगड़िया तक (एन.एच.-31) हो रहे फोरलेन निर्माण में बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र स्थित सिंघौल से खातोपुर चौक तक फ्लाई ओवर निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

25. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'शहरों के सर्वांगीण विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तथा मास्टर प्लान की रूपरेखा बनाने में शहरवासियों एवं जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

26. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह का प्रस्ताव कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'पटना-मुजफ्फरपुर एन.एच. पर मुजफ्फरपुर शहर के प्रवेश द्वार स्थित रामदयालु रेल फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करे।'

(माननीय सदस्य अनुपस्थित।)

27. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार ने प्रस्ताव किया कि यह बिहार विधान परिषद् राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह 'मिथिलांचल में "उगना महोत्सव" को सरकारी महोत्सव घोषित करे।'

(प्रस्ताव वापस हुआ।)

9. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सतीश कुमार
3. प्रो. संजय कुमार सिंह
4. श्री रामचन्द्र भारती
5. श्री नीरज कुमार
6. श्रीमती मनोरमा देवी
7. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
8. श्री आदित्य नारायण पाण्डेय
9. श्री सोने लाल मेहता
10. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
11. श्री राधाचरण साह
12. श्री हीरा प्रसाद बिन्द

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक शनिवार, दिनांक 25.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

24/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 406 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 24.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
24-03-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्